मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. एफ. 9-2/2014/चार

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
मध्यप्रदेश.

विषय.—नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग एवं मृत्यु के प्रकरणों में फंड मैनेजरों के पास जमा राशि की भुगतान प्रक्रिया.

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 23-3-2010 द्वारा राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों जिनके अंशदान शासन द्वारा नियुक्त फंड मैनेजरों को स्थानान्तरित नहीं किये गये थे, के भुगतान की प्रक्रिया जारी की गयी है. ऐसे कर्मचारी जिनकी जमा राशि फंड मैनेजरों को अंतरित की जा चुकी है, के भुगतान की प्रक्रिया पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण के परिपत्र क्रमांक पी. एफ. आर. डी. ए./2013/2. एस. एल.-1, दिनांक 22-1-2013 (परिशिष्ट-1) के अनुक्रम में जारी मास्टर सर्कुलर (सेवानिवृत्ति, सेवा त्याग एवं मृत्यु की स्थिति में जमा राशि के भुगतान संबंधी) स. क्र. 2, 4 एवं 6 में दिये विवरणानुसार भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

1. (अ) **सेवानिवृत्ति पर**—अभिदाता की कुल जमा राशि की 40 प्रतिशत राशि की एन्युटी अभिदाता को मासिक पेंशन के भुगतान के रूप में (Annuity Purchase) एवं शेष 60 प्रतिशत राशि अभिदाता को एकमुश्त भुगतान की जाएगी. इस प्रकार के भुगतान हेतु अभिदाता द्वारा फार्म क्रमांक 101-GS (परिशिष्ट- II) संबंधित डी. डी. ओ. को प्रस्तुत किया जाकर, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सत्यापित कर वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा. कोषालय अधिकारी उक्त फार्म एन. एस. डी. एल. को भेजेंगे, एन. एस. डी. एल. द्वारा पी. एफ. आर. डी. ए. (पेंशन निधि, नियामक एवं विकास प्राधिकरण) से स्वीकृति पश्चात् उक्त भुगतान संबंधित के खाते में आर. टी. जी. एस./एन.ई. एफ. टी. के माध्यम से किया जायेगा.

(ब) **सेवात्याग पर**—सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व सेवात्याग करने पर जमा राशि के 80 प्रतिशत की एन्युटी खरीदी जायेगी एवं 20 प्रतिशत राशि का एकमुश्त भुगतान अभिदाता को किया जायेगा. इस प्रकार के भुगतान हेतु फार्म क्रमांक 102-GP (परिशिष्ट- III) अभिदाता द्वारा भरा जायेगा जिसे संबंधित डी. डी. ओ. से सत्यापित कर वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा. कोषालय अधिकारी उक्त फार्म एन. एस. डी. एल. को भेजेंगे. एन. एस. डी. एल. द्वारा पी. एफ. आर. डी. ए. (पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण) से स्वीकृति पश्चात् उक्त भुगतान संबंधित के खाते में आर. टी. जी. एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से किया जायेगा.

(स) **मृत्यु की स्थिति में**—अभिदाता की पूर्ण जमा राशि का उसके नामिनी/वैद्य उत्तराधिकारी को एकमुश्त भुगतान कर दिया जायेगा. इस प्रकार के भुगतान हेतु फार्म क्रमांक 103-GD (परिशिष्ट- IV) नामिनी/वैद्य उत्तराधिकारी द्वारा भरकर संबंधित डी. डी. ओ. से सत्यापित कराने के पश्चात् वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा. कोषालय अधिकारी उक्त फार्म एन. एस. डी. एल. को भेजेंगे, एन. एस. डी. एल. द्वारा पी. एफ. आर. डी. ए. (पेंशन निधि

नियामक एवं विकास प्राधिकरण) से स्वीकृति पश्चात् उक्त भुगतान संबंधित के खाते में आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. के माध्यम से किया जायेगा.

2. पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा इस योजना के तहत 7 ए. एस. पी. (एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर) बनाये गये हैं. ये एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर सेवानिवृत्ति एवं सेवात्याग में उल्लेखित एन्युटी खरीदने हेतु अधिकृत होंगे. अभिदाता इन 7 ए. एस. पी. में से किसी एक का चयन कर सकता है. ए. एस. पी. निम्नानुसार है :—

(1) एल. आई. सी. लिमिटेड
(2) एस. बी. आई. लाईफ इंश्योरेंस लिमिटेड
(3) आई. सी. आई. सी. आई. प्रुडेंशियल लाईप इंश्योरेंस
(4) एच. डी. एफ. सी. स्टेंडर्ड लाईफ इंश्योरेंस लिमिटेड
(5) बजाज एलायंस लाईफ इंश्योरेंस
(6) रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस
(7) स्टार यूनियन दाई-इची लाइप इंश्योरेंस लिमिटेड

3. सेवात्याग एवं सेवानिवृत्ति के प्रकरणों में अंतिम भुगतान हेतु नॉन आई. आर. ए. अभिदाताओं को एस-1 फार्म भरना अनिवार्य होगा. फार्म (एस-1) के आधार पर एन. एस. डी. एल. अपने सिस्टम में सारा डाटा एकत्र करेगा परन्तु प्रान जनरेशन नहीं किया जायेगा. इस डाटा के आधार पर संबंधित अभिदाता की भुगतान प्रक्रिया पर कार्यवाही की जायेगी.

4. पी. एफ. आर. डी. ए. के पत्र दिनांक 14-2-2013 (परिशिष्ट-V) के अनुसार इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के समय अभिदाता हेतु यह अनिवार्य है कि वह निर्धारित एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर में से किसी एक ए. एस. पी. (एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर) का चयन ए "एन्युटी स्कीम" के साथ करें. इसी योजना के तहत पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा एल. आई. सी. को डिफाल्ट एन्युटी प्रोवाइडर बनाया गया है.

जिसके तहत—

(अ) उक्त एन्युटी का 100 प्रतिशत भुगतान पति/पत्नि (Spouse) को संबंधित अभिदाता (एन्युटेंट) की मृत्यु की दशा में किया जायेगा.

(ब) इस योजना के तहत मासिक एन्युटी का भुगतान अभिदाता (एन्युटेंट) एवं पति/पत्नि (Spouse)की मृत्यु के बाद यदि स्पाउस की मृत्यु अभिदाता (एन्युटेंट) के पूर्व ही हो जाती है तो सम्पूर्ण परचेज प्राईस का कोई भुगतान एन्युटेंट को नहीं किया जायेगा तथा—

(स) इस योजना का लाभ मात्र वही अभिदाता ले सकेंगे जिनके फण्ड एकमुश्त जमा राशि पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा इस योजना हेतु निर्धारित न्यूनतम सीमा के अधीन हो.

5. पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा एन. पी. एस. अभिदाता को परिपत्र दिनांक 17-9-2013 (परिशिष्ट-VI) द्वारा स्पष्ट किया गया है कि—

(अ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए 'डिफरमेंट आप्शन' के तहत वर्तमान व्यवस्था में अभिदाता को किये जाने वाले एकमुश्त भुगतान (60 प्रतिशत) अभिदाता द्वारा 70 वर्ष की आयु तक जमा रखा जा सकता है.

(ब) पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा बाजार के उतार चढ़ाव के मद्दे नजर उपरोक्त "डिफरमेंट आप्शन" की उक्त सुविधा "अ" अनुसार सेवानिवृत्त के प्रकरणों में एन. पी. एस. से एक्जिट करते समय एन्युटी खरीदते समय (सेवानिवृत्ति की स्थिति में 40 प्रतिशत) अधिकतम 3 वर्ष के लिए अभिदाता आप्ट कर सकता है.

(स) अभिदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये डिफरमेंट दिनांक के समाप्त होने के अर्थात् 3 वर्ष के पूर्व इस राशि से एन्यूटी खरीदने की अनिवार्य रूप से पहल कर सकेगा. Exit की स्थिति में 3 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उक्त एन्युटी स्वयंमेव monetized हो जावेगी तथा तत्पश्चात इस राशि पर अभिदाता को किसी प्रकार का ब्याज एवं विनियोग आय देय नहीं होगी.

(द) पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा बाजार के उतार चढाव के मद्देनजर उपरोक्त "डिफरमेंट आप्शन" की उक्त सुविधा "अ" अनुसार सेवात्याग के प्रकरणों में एन. पी. एस. से एक्जिट करते समय एन्युटी खरीदते समय (सेवात्याग की स्थिति में 80 प्रतिशत) अधिकतम 3 वर्ष के लिए अभिदाता आप्ट कर सकता है "स" में उल्लेखित व्यवस्था सेवात्याग के प्रकरणों में भी लागू होगी.

6. पी. एफ. आर. डी. ए. के निर्देश दिनांक 23-10-2013 (परिशिष्ट-vii) द्वारा ऐसे अभिदाता जिनकी सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की आयु तक कुल जमा राशि दो लाख या उससे कम है को 100 प्रतिशत जमा राशि भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गई है. ऐसे प्रकरणों में भुगतान हेतु पैरा-1 में उल्लेखित निर्धारित फार्म क्र. 101-G.S. के साथ परिपत्र दिनांक 23-10-2013 में संलग्न Request for withdrawal of Total Pension Wealth upon normal superannuation फार्म तथा पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा 2 अप्रैल 2014 (परिशिष्ट-viii) को जारी Requesting Cum Undertaking के साथ अभिदाता द्वारा भरा जायेगा, जो कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी से सत्यापित कराने के पश्चात् वांछित प्रपत्रों के साथ कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा. कोषालय अधिकारी उक्त फार्म एन. एस. डी. एल. को भेजेंगे, एन. एस. डी. एल. द्वारा पी. एफ. आर. डी. ए. (पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण) से स्वीकृति पश्चात् उक्त भुगतान संबंधित के खाते में आर. टी. जी. एस./एन. ई. एफ. टी. के माध्यम से किया जायेगा.

7. सेवानिवृत्ति, सेवात्याग एवं मृत्यु की स्थिति में उपरोक्तानुसार भुगतान की प्रक्रिया पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के संदर्भ में जारी की जा रही है. अत: किसी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु पी. एफ. आर. डी. ए. का मूल परिपत्र मान्य होगा, साथ ही भविष्य में पी. एफ. आर. डी. ए. द्वारा अंतिम भुगतान संबंधी जो भी संशोधन किये जायेंगे वे तदनुसार स्वमेव ही इन निर्देशों का भाग होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हस्ता./-

(मनीष रस्तोगी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग.